न्यायालयः सिविल जज (जू0डि0), कालपी, जनपद जालौन।
मूलवाद सं0 12/2015
राजेन्द्र बहादुर द्विवेदी बनाम नगर पंचायत कदौरा,
दिनांक 05.10.2018

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित।

वादी ने संशोधन प्रार्थनापत्र 18क1 मय शपथपत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादी को न्यायालय के आदेश द्वारा राज्य उ0प्र0 को पक्षकार बनाये जाने का निर्देश हुआ था, अतः जरिये संशोधन राज्य उ0प्र0 को प्रतिवादी बनाये जाने की अनुमति प्रदान की जाये, इसके अतिरिक्त वादी ने वादपत्र के पैरा 7 में संशोधन चाहा है।

प्रतिवादी द्वारा मात्र मौखिक आपत्ति की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। मामलें की तथ्य एवं परिस्थितियों में वादी का प्रार्थनापत्र 18क1 न्यायालय के आदेश दिनांक 03.08.2016 के अनुपालन में स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वादी का संशोधन प्रार्थनापत्र 18क1 स्वीकार किया जाता है। वादी अविलम्ब संशोधन करें। पत्रावली वास्ते जवावदावा दिनांक 04.01.2019 को पेश हो।

सिविल जज (जू0डि0), कालपी,